न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 89/2022 राजस्व अपील

1. बालजी पुत्र रामहेत गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 28.01.2022 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकन्दरा जिला दौसा अन्तर्गत मुकदमा नम्बर 253/2021 बअनुवानी प्रकरण सरकार बनाम बालजी पुत्र रामहेत अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट)

उपस्थिति : श्री मिट्ठन लाल गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः .05.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट बाबत अतिचार चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1750/3162 रकबा 0.50 है. अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकन्दरा के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिसमें अपीलान्ट के विरूद्व बिना सुनवाई किये अवैधपूर्ण निर्णय दिनांक 28.1.2022 फरमाया जाकर अपीलान्ट पर 50 गुणा शास्ति आरोपित कर 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर दिया गया है। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी दिनांक 28.2.2022 को होने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उक्त निर्णय दिनांक 28.01.2022 के विरूद्व यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय नियम व प्रक्रिया के विरूद्व होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्ट की तामील नहीं हुई। अपीलान्ट की तामील होना आवश्यक है। अपीलान्ट वृद्ध व्यक्ति है एवं बीमार होने के कारण कृषि भूमि पर काश्त करने की स्थिति में नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर गये बगैर पटवार भवन पर बैठकर ही झूंठी रिपोर्ट की गई है। अपीलान्ट की खातेदारी पैतृक भूमि चरागाह भूमि से लगती हुई है। अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध नहीं है एवं पत्रावली पर ऐसा कोई रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं है। अगर अपीलान्ट का गलती से चरागाह भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे सुना जावे।

अपीलान्ट ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमि खसरा नम्बर 1750/3162 पर अतिचार करने की रिपोर्ट पटवारी द्वारा गलत व मौके के विपरीत पेश की है। अपीलान्ट शपथकर्ता का उक्त भूमि पर वर्तमान में कोई अतिचार नहीं है एवं अपीलान्ट शपथकर्ता उक्त भूमि पर आगे भी कोई अतिचार नहीं करेगा। अपीलान्ट शपथकर्ता द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट की तामील विधिवत हुई है एवं अपीलान्ट को सुनवाई का मौका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया है। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार अपीलान्ट ने चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1750 / 3162 में 0.25 है. भूमि पर चने एवं 0.25 है. भूमि पर सरसों की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.01.2022 के द्वारा 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा, बेदखली व 50 गुना लगान की शास्ति से दण्डित किया गया है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा ग्राम सिकन्दरा तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1750 / 3162 पर वर्तमान में कोई अतिचार नहीं होना एवं आगे भी उक्त भूमि पर कोई अतिचार नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि ग्राम सिकन्दरा तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1750 / 3162 पर अतिक्रमण नहीं होने बाबत् अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र नायब तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा सत्यापित किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.01.2022 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 28.01.2022 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक .2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा